(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 604–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–2011 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 661/अ–19/2004–05 पुनरीक्षण

1– शेख महमूद खॉ बल्द छोटे खॉ
2– शेख मकसूद खॉ बल्द शेख महमूद खॉ
3– शेख महसूद खॉ बल्द शेख महमूद खॉ
4– शेख मनमूद खॉ बल्द शेख महमूद खॉ
निवासीगण आजाद बार्ड कन्देली नरसिंहपुर -- आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र गोरेलाल उर्फ कारेलाल प्रजापति
निवासी कन्देली नरसिंहपुर तहसील नरसिंगपुर
2– बी0एल0प्रजापति पुत्र थम्मनसिंह(भूतपूर्व सैनिक)
निवासी कोसमखेड़ा तहसील करेली
जिला नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर
3– मध्य प्रदेश शासन व्दारा जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखनसिंह धाकड़)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)
(अनावेदक–2 के अभिभाषक श्री एजाज गौरी)
(अनावेदक–3 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 3 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 661/अ–19/2004–05 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 29–11–11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक क–2 ने कलेक्टर

नरसिंहपुर को शिकायत प्रस्तुत की कि उसे भूतपूर्व सैनिक होने के कारण ग्राम मढपिपरिया तहसील नरसिंहपुर में सर्वे नंबर 90/4 में से रकबा 5.00 एकड़ का पट्टा प्राप्त हुआ था, जिसे 1979-80 में बाबूलाल प्रजापति बल्द गोरेलाल नरसिंहपुर ने अपने नाम पर करवा लिया और सन 1996-97 में इसी भूमि को उसने आवेदकगण को विक्रय कर दिया। सर्विस के दौरान कागजात की फायल गुम हो गई थी उसमें जमीन का पट्टा था रिटायर होने पर इस तरफ गौर किया एंव नकलें निकलवाई तब पता चला कि स्थिति काबू से बाहर है इसलिये शासकीय पट्टे की जमीन दिलाई जावे। कलेक्टर नरसिंहपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 39/1997-98 अ-19 पंजीबद्ध किया एंव पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस दिये, जिसके पद-एक में उल्लेख किया कि अनावेदक क्र-2 को राजस्व मामला कमांक 29 अ 19 वर्ष 1970-71 में शासकीय काबिलकास्त भूमि ख.नं. 90/4 में से रकबा 5-00 एकड़ का आवंटन में प्राप्त हुआ था। इसी नोटिस के पद 2 में अंकित है कि खसरा पांचसाला 79-80 से 83-84 के कमांक 94/8 पर बी.एल.शब्द काटकर बाबूलाल लिखा गया है। आवेदकगण ने बचाव में आपत्ति प्रस्तुत की कि नामांत्रण की प्रविष्टियों के वाद लम्बी समयावधि व्यतीत होने से शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी नहीं की जा सकती। आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 17-9-98 पारित किया तथा आपत्ति निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी कमांक 375/अ-19/98-99 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 27-11-2001 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 376-चार/02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-3-2003 से निगरानी निरस्त हुई। कलेक्टर नरसिंहपुर के न्यायालय में प्रकरण आने पर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण कमांक 39/ अ-19/ 1997-98 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-8-05 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार नरसिंहपुर को निर्देश दिये गये कि

1. प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0शासन के नाम(काबिलकास्त)दर्ज की जावे।
2. प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1977-78 के वाद हुये सभी अंतरण निरस्त किये जावे।

कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में निगरानी दायर कर चुनौती दी गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 661/ अ-19/ 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 29-11-11 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दर्ज कराते हुये चुनौती दी गई है।

3/ आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक ने अभिलेख के आधार पर निर्णय किये जाने का आग्रह किया है । अनावेदक कमांक-2 के अभिभाषक ने 15 दिवस में लेखी तर्क प्रस्तुत करना बताने पर समय दिया गया, किन्तु उनकी ओर से आदेश पारित करने तक लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अनावेदक क-3 के अभिभाषक के तर्क सुने गये।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर नरसिंहपुर कारण बताओ नोटिस दिनांक 1-5-98 में अंकित करते हैं कि अनावेदक क-2 को राजस्व मामला कमांक 29 अ 19 वर्ष 1970-71 में शासकीय काबिलकास्त भूमि ख.नं. 90/4 में से रकबा 5-00 एकड़ आवंटन में प्राप्त हुआ है इसी नोटिस के पद 2 में अंकित है कि खसरा पांचसाला 79-80 से 83-84 के स. क. 90/8 पर बी.एल.शब्द काटकर बाबूलाल लिखा गया है अर्थात जब पट्टाग्रहीता अनावेदक क-2 को भूतपूर्व सैनिक कोटे में भूमि ख.नं. 90/4 में से रकबा 5-00 एकड़ का पट्टा दिया गया है तथा अनावेदक कमांक-1 ने सर्वे कमांक 94/8 का रकबा 2.023 हे. जर्य पंजीकृत विकय पत्र दि. 19-7-96 से आवेदकगण को विकय किया है इस विसंगति पर कलेक्टर नरसिंहपुर एंव अपर आयुक्त जबलपुर ने ध्यान न देने में भूल की है।

4/ विचार योग्य है कि क्या अनावेदक क-2 को भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर ग्राम मढपिपरिया में भूमि सर्वे नंबर 90/4 में

से रकबा 5.00 एकड़ का पट्टा पात्रता के आधार पर प्रदान किया गया है? अनावेदक कमांक-2 का आवेदन कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रकरण में पृष्ठ-1 पर संलग्न है जिसके प्रथम पैरा में अंकित है कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक नं. 7042771 H/N6/Sub हूँ जिसे सर्विस के दौरान शासन से पट्टे पर 5.00 एकड़ भूमि ग्राम मढपिपरिया न.ब. 450 ह.नं. 62, 90/4 में से मिली थी। अर्थात मिलिट्री सर्विस में रहते हुये वह पट्टा मिलना बता रहा है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक 3480-4409- सात- सा-2-75 दिनांक 12 अगस्त 1976 के अनुसार केवल उन पुरूस्कृत सैनिकों को (1)परमवीर चक्र प्राप्त कर्ता (2) महावीर चक्र प्राप्तकर्ता (3) बीरचक्र प्राप्तकर्ता को जीवित अवस्था में अथवा उनके वाद सैनिक पर आश्रित कुटुम्बी को भूमि बन्टन किये जाने का प्रावधान है इसी प्रकार परिपत्र कमांक 1590-353-83-सात-शाखा-2 दिनांक 9-8-1983 के अनुसार केवल भूतपूर्व नान कमिशण्ड आफिसर,भूतपूर्व सैनिक को भूमि बंटन की पात्रता रखी गई है, जबकि विचाराधीन प्रकरण में अनावेदक क-2 ने सैना की नौकरी में रहते हुये पटटे पर भूमि प्राप्त करना बताया है जबकि नौकरी में रहने वाले सैनिक को पट्टा देने करने का प्रावधान नहीं है जिसके कारण अनावेदक क-2 दो ने मध्य प्रदेश शासन के तत्तसमय पदस्थ रहे अधिकारियों से छलाबा करके पट्टा प्राप्त किया है जो नियम विरूद्व पाये जाने से तत्समय से ही अकृत एंव शून्यवत् है एंव ऐसे पटटे के आधार पर अनावेदक क-2 को वाद विचारित भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं होते , परन्तु कलेक्टर नरसिंहपुर एंव अपर आयुक्त जबलपुर ने इस तथ्य पर विचार न करने की भूल की है।

5/ विचार का विषय यह भी है कि क्या अनावेदक क-2 ने वाद विचारित भूमि का पट्टा प्राप्त करने के वाद पटटे की शर्तो का पालन किया है? अनावेदक क-2 को वाद विचारित भूमि का पट्टा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर व्दारा प्र0क0 29 अ 19/70-71 में पारित आदेश दिनांक 13-12-72 से प्रदान किये जाने का तथ्य है, जबकि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत तत्समय भूमि

बंटन के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं थे। अतएव पटटा अधिकार-विहीन अधिकारी व्दारा जारी किये जाने से प्रारंभ से ही अकृत एंव शून्यवत् है। कलेक्टर नरसिंहपुर के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 39/1997-98 में संलग्न खसरा वर्ष 1979 से 1980 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छायाप्रति के अवलोकन से पाया गया कि भूमि सर्वे नंबर 90 में से अनावेदक क-2 को पटटा प्राप्त हुआ है जो पटटे की छायाप्रति अनुसार 90/4 है । खसरा पंचशाला 1980-81 लगायत 1983-84 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति कलेक्टर के प्रकरण में पृष्ठ 11 है जिसके अनुसार खसरे के खाना नंबर 3 में भूमिस्वामी बाबूलाल प्रजापति बल्द गोरेलाल का नाम शास. पटटाधारी के रूप में दर्ज है किन्तु यह सर्वे नंबर 90/4 न होकर सर्वे नंबर 90/8 है और इसी सर्वे नंबर पर निरन्तर प्रविष्टि 1995-96 के खसरे तक आई है, एंव अनावेदक क-1 ने सर्वे नंबर 90/8 रकबा 2.023 हैक्टर जर्य पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 19-7-96 से आवेदकगण को विकय किया है परन्तु इस तथ्य पर कलेक्टर नरसिंगपुर एंव अपर आयुक्त जबलपुर ने गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ अनावेदक क-2 ने कलेक्टर नरसिंहपुर को खसरा प्रविष्टि के सम्बन्ध में दिनांक 19-1-98 को अर्थात पटटा प्राप्ति दिनांक 13-12-72 के 24 वर्ष वाद आपत्ति दर्ज कराई है अर्थात 24 वर्ष तक उसने वादग्रस्त भूमि की खोज-खबर तक नहीं ली। यदि यह मान भी लिया जाय के अनावेदक क-2 की वाद विचारित भूमि सर्वे नंबर 90/4 ही सर्वे नंबर 90/8 की भूमि है तब भी 24 वर्ष तक शासकीय अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामी निरन्तर खेती करते चले आने के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित कर लेता है अर्थात अनावेदक क-1 ने भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित कर लिये । वादग्रस्त भूमि पर नायव तहसीलदार नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 45 अ 19/1983-84 में पारित आदेश दिनांक 16-8-84 से अनावेदक कमांक-1 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जो निरन्तर 1995-96 तक यथावत् रहे। तदुपरांत भूमिस्वामी (अनावेदक क-1)

ने वाद विचारित भूमि जर्य पंजीकृत विक्रय पत्र दि. 19 -7- 1996 से आवेदकगण के हित में विक्रय कर दी, जिस पर से केता आवेदकगण का राजस्व अधिकारियो ने अभिलेखों की जांच करके नामान्तरण कर दिया। ऐसी स्थिति में नायव तहसीलदार नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 45 अ 19/1983-84 में पारित आदेश दिनांक 16-8-84 के कारण अनावेदक कमांक-2 के समाप्त हो चुके अधिकारों को पुर्नजीवित नहीं माना जा सकता और इन्हीं कारणों से कलेक्टर नरसिंहपुर व्दारा आदेश दिनांक 08 अगस्त,2005 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 29-11-11 में निकाले गये निष्कर्ष वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आवेदकगण ने वाद विचारित भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदक क-1 से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19 जुलाई 1996 से क्रय की है एंव उनका क्रय की गई भूमि पर नामान्तरण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में ऐसा कोई अभिलेख भी नहीं है एंव न ही किसी पक्षकार के अभिभाषकों ने ऐसा कोई तथ्य बताया कि पंजीकृत विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवा दिया गया है एंव पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर से दिया नामान्तरण आदेश अपील/निगरानी में निरस्त न होने के कारण प्राड.न्याय (Res-judicata) से बाधित है । राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता भी नहीं रखते - परन्तु कलेक्टर नरसिंहपुर ने इन तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये स्वमेव निगरानी क0 39/ अ-19/ 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 08-8-05 से वाद विचारित भूमि को शासकीय घोषित करते हुये म0प्र0शासन के नाम दर्ज करने का निर्णय लेने में त्रृटि की है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने भी प्रकरण कमांक 661/ अ-19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 29-11-11 में उक्त पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 661/ अ-19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 29-11-11 तथा कलेक्टर नरसिंहपुर व्दारा स्वमेव निगरानी कमांक 39/ अ-19/ 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 08-8-05 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण व्दारा कय की गई भूमि सर्वे नंबर 90/8 रकबा 2.023 हैक्टर पर किये गये नामान्तरण को शासकीय अभिलेख में यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर